न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2022/93(35/2022) दर्ज तिथिः—19.04.2022

1. फुसाराम पुत्र हरखाराम
   जाति जाट निवासी बांटा खेताजी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.................वादी

बनाम

1. धनी पत्नी लिछमणा
2. भीयाराम पुत्र लिछमणा
3. मूलाराम पुत्र लिछमणा
4. रावताराम पुत्र लिछमणा
   निवासी बांटा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.................असल प्रतिवादीगण

5. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. गुढामालानी
6. तहसीलदार गुडामालानी

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः— श्री पूनमाराम विश्नोई
प्रतिवादीः— श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

—ःनिर्णयः—

निर्णय तिथिः—10.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 244/2.0639 है0, 245/4.2735 है0 मौजा बांटा खेताजी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:51:55 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। तत्पश्चात् वकील वादी द्वारा सहमति दिये जाने पर दिनांक 13.02.2023 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू—धारक तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/प्रसांग/2023/09 दिनांक 27.06.2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया।

3. प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण द्वारा जरीये असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति न्यायालय द्वारा अस्वीकार की जाकर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/प्रसांग/2023/09 दिनांक 27.06.2023 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 28.04.2023 को तहसीलदार गुडामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 28.04.2023 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:51:55 IST
Reason: SelfAttested

जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 28.04.2023 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074—2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 244/2.0639 है0, 245/4.2735 है0 मौजा बांटा खेताजी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह— काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलनः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षतिः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:51:55 IST
Reason: SelfAttested

हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 244/2.0639 है0, 245/4.2735 है0 मौजा बांटा खेताजी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुरेंजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
फूसाराम पुत्र हरखाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन–एसबीबीजे शाखा गुड़ामालानी	बांटा खेताजी	244 245	1.0319 2.1368	बा0दो0 बा0दो0
किता 02 रकबा 3.1687 हैक्टेयर				
भीयाराम पुत्र लिछमणा हि0 3/4 मूलाराम पुत्र लिछमणा हि0 3/4 रावताराम पुत्र लिछमणा हि0 3/4 धनी पत्नी लिछमणा हि0 3/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार	बांटा खेताजी	244 245	1.0320 2.1367	बा0दो0 बा0दो0
किता 02 रकबा 3.1687 हैक्टेयर				
नोटः–खसरा संख्या 244 व 245 के मध्य तरमीम इस प्रकार की जावे कि वादी व प्रतिवादी की रहवासी ढाणियों पर मौके पर तरमीमें नहीं आवें।				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:51:55 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:51:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2022/93(35/2022) दर्ज तिथिः—19.04.2022

1. फुसाराम पुत्र हरखाराम
   जाति जाट निवासी बांटा खेताजी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

..................वादी

बनाम

1. धनी पत्नी लिछमणा
2. भीयाराम पुत्र लिछमणा
3. मूलाराम पुत्र लिछमणा
4. रावताराम पुत्र लिछमणा
   निवासी बांटा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

..................असल प्रतिवादीगण

5. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. गुढामालानी
6. तहसीलदार गुडामालानी

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः— श्री पूनमाराम विश्नोई
प्रतिवादीः— श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 244/2.0639 है0, 245/4.2735 है0 मौजा बांटा खेताजी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:51:55 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
फूसाराम पुत्र हरखाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन–एसबीबीजे शाखा गुड़ामालानी	बांटा खेताजी	244 245	1.0319 2.1368	बा0दो0 बा0दो0
किता 02 रकबा 3.1687 हैक्टेयर				
भीयाराम पुत्र लिछमणा हि0 3/4 मूलाराम पुत्र लिछमणा हि0 3/4 रावताराम पुत्र लिछमणा हि0 3/4 धनी पत्नी लिछमणा हि0 3/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार	बांटा खेताजी	244 245	1.0320 2.1367	बा0दो0 बा0दो0
किता 02 रकबा 3.1687 हैक्टेयर				
नोटः–खसरा संख्या 244 व 245 के मध्य तरमीम इस प्रकार की जावे कि वादी व प्रतिवादी की रहवासी ढाणियों पर मौके पर तरमीमें नहीं आवें।				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:51:55 IST
Reason: SelfAttested